

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-


अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 07/आ०प्र०, दिनांक- 23.04.2015 द्वारा, चालू वित्तीय वर्ष 2015 -16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 विपत्ती के कारण राहत , उप मुख्य -02 - बाढ़ चकावात आदि , लघु शीर्ष -101- आनुयाहिक राहत ,उपशीर्ष -0003 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड - एन0-22450201010003 के अन्तर्गत इस जिला को मो0-28,00,000/- (अठईस लाख)रु0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है । यह आवंटन दिनांक 21.04.15 को आये चकवाती तुफान में मृत व्यक्तियों के आश्रित को भुगतान हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-

क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआवंटित राशि
01	अंचल अधिकारी ,मधेपुरा	शून्य	4,00,000/-	4,00,000/-
02	अंचल अधिकारी ,बिहारीगंज	शून्य	4,00,000/-	4,00,000/-
03	अंचल अधिकारी ,मुरलीगंज	शून्य	20,00,000/-	20,00,000/-
	कुल योग :-		28,00,000/-	28,00,000/-

उपावंटन की शर्तें :-

1. उपरोक्त आवंटन आदेश वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561वि0(2)दिनांक 17-04-1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।
2. इस राशि का व्यय मुख्य बजट शीर्ष 2245 विपत्ती के कारण राहत , उप मुख्य -02 - बाढ़ चकावात आदि , लघु शीर्ष -101- आनुयाहिक राहत ,उपशीर्ष -0003 - संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड - एन0-22450201010003 मांग संख्या 39 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।
3. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपावंटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेबारी होगी ।

4. यह आवंटन दिनांक 21.04.15 की रात्री में आये चक्रवाती तुफान के मद्देनजर निर्गत किया जा रहा है।
5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए । इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए ।
7. उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है । किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवारी होंगे।
8. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
9. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



 25/4/15
 जिला पदाधिकारी ,
 मधेपुरा।

ज्ञापांक ..11.5....दिनांक 25.4.15

प्रतिलिपि : - अंचल अधिकारी चौसा / आलमनगर / मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज / मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित,
 बिभाग , बिहार , पटना को सादर सूचनार्थ ।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन ,
 बिभाग , बिहार , पटना को सादर सूचनार्थ ।


 25/4/15
 जिला पदाधिकारी,
 मधेपुरा।